

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 जिला - सीधी

2355-II-15

भी प्रकरण का कार्यवाही  
द्वारा आज दि 24-2-15 को  
प्रस्तुत

हरिश्चन्द्र

—आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. ग्वालियर न्यायालय  
राजस्व मण्डल

हरिश्चन्द्र  
25/01/15

हीरामणी

—अनावेदक

म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत  
निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 2355-II-15 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 20/3/15 को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक 20/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता / अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 20/3/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक / बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 2355-II-15 पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-1d

दिनांक

स्थान-ग्वालियर

प्रार्थी

हरिश्चन्द्र - - श्री

21/2/15



हरिश्चन्द्र

**XXXIX (a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.2355-दो/15

जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप. । उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया ।</p> <p>प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ ।</p>	 सदस्य
31-8-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक अपील 367-पीबीआर/99 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य